Ex.P-269

82
S-82

कथन
(धारा 161 द0प्र0सं0)

थाना–ईओडब्ल्यू, रायपुर
अपराध क्रमांक–09 / 15

जिला–रायपुर।
धारा–109, 120(बी), 409, 420 भा.द.वि., 13(1) (डी)
सहपठित धारा 13(2) भ्र.नि.अ. 1988

अशोक दुबे पिता श्री रामदीन दुबे उम्र 55 वर्ष, निवासी एल.आई.जी.–20, मानसरोवर कॉलोनी, भिलाई–3, जिला दुर्ग, छ.ग. मोबाईल न0 – 94241–09351

—00—

मैं अशोक दुबे पूछने पर बता रहा हूँ कि मैं अशोक दुबे ट्रांसपोर्टर एण्ड कांट्रेक्टर भिलाई में सुरेश कुकरेजा मेरा वर्किंग पार्टनर है। हमारी ट्रांसपोर्ट कंपनी छ.ग. नागरिक आपूर्ति निगम में विगत 5–6 वर्षों से पी.डी.एस. (द्वार प्रदाय योजना) कार्य के लिए अधिकृत ट्रांसपोर्ट है। इस कार्य हेतु मुख्यालय नागरिक आपूर्ति निगम रायपुर द्वारा निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसमें हमारी फर्म विगत पांच–छः वर्षों से पार्टीसिपेट करते आई है। हमारी ट्रांसपोर्ट फर्म को नान (नागरिक आपूर्ति निगम) मुख्यालय द्वारा न्यूनतम दर होने से परिवहन का कार्य हेतु अधिकृत किया गया है तथा इस कार्य के लिए अनुबंध जिला प्रबंधक कार्यालय दुर्ग में निष्पादित हुआ है। बिल भुगतान की प्रक्रिया के अनुसार परिवहन कार्य का बिल जिला कार्यालय में प्रस्तुत किया जाता है और जिला प्रबंधक द्वारा बिल पेमेंट हेतु पास करने के लिए मुख्यालय नान भेजा जाता है। मुख्यालय में बिल पास होने के बाद जिला प्रबंधक कार्यालय से चेक के द्वारा भुगतान किया जाता है।

बिल भुगतान की प्रक्रिया अनुसार हमारी फर्म का बिल पास करने हेतु जब मुख्यालय में भेजा गया तब परिवहन बिल के भुगतान मे विलंब होने पर जिला कार्यालय से पता करने पर मालूम पड़ा कि बिल मुख्यालय में लंबित है। बिल का पेमेंट देर होने के कारण मैं और सुरेश कुकरेजा नान मुख्यालय रायपुर गये, तो, हमें बिल के संबंध में शिवशंकर भट्ट, प्रबंधक(पी. डी.एस.) से मिलने के लिए कहा गया। जब हम अपने परिवहन बिल के संबंध में शिवशंकर भट्ट से उनके केबिन में पहली बार मिले तो उन्होंने पूछा कि कहॉ से आये हो, क्या काम है? मैंने अपना और सुरेश कुकरेजा का परिचय उन्हें बताया कहा कि हमारी फर्म अशोक दुबे ट्रांसपोर्ट दुर्ग जिले में पी.डी.एस. कार्य के अधिकृत परिवहनकर्ता हैं। फर्म का परिवहन बिल जिला कार्यालय में काफी दिनों से लंबित है, जिसका भुगतान नहीं हो पा रहा है। हम काफी दिनों से जिला कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। हमें जिला कार्यालय में बताया गया कि आपका बिल मुख्यालय से पास होकर नहीं आया है, जब आयेगा तब हम पेमेंट होगा। भुगतान नहीं होने से हम परेशान होकर आपके पास आए हैं, तब शिवशंकर भट्ट ने हमसे कहा कि जब तक आप हमारी सेवा नहीं करेंगे तब तक आपका बिल पास नहीं होगा। तब मैंने पूछा कि कैसी सेवा

करनी पड़ेगी तो भट्ट द्वारा बताया गया कि प्रत्येक बिल पास करने के लिए बिल राशि का 10 प्रतिशत कमीशन देना होगा तब बिल तत्काल में पास हो जायेगा, नहीं तो पेमेंट नहीं होगा और भटकते रहोगे, तुम्हारे परिवहन कार्य में कमी निकालकर परेशान किया जाएगा, 10 प्रतिशत कमीशन देते रहोगे तो बिल पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी और तुम्हारा काम अच्छे ढंग से चलता रहेगा। श्री भट्ट द्वारा यह भी कहा गया कि उसे अपने एम.डी. श्री अनिल टुटेजा को इन सब कामों का पैसा इकट्ठा कर देना पड़ता है। हम लोग काफी दिनों से परेशान थे इसलिए मजबूरी में हमें शिवशंकर भट्ट की बात माननी पड़ी और प्रत्येक बिल राशि अनुसार 10 प्रतिशत कमीशन शिवशंकर भट्ट के बताए अनुसार गिरीश शर्मा के पास देते रहे हैं। मुझे आज याद नहीं कि किस–किस दिनांक को कितनी राशि गिरीश शर्मा को हम दोनों जाकर दिए थे। यदि हम लोग शिवशंकर भट्ट की बात नहीं मानते तो वह हम लोगों का काम बंद करवा देता। अतः कमीशन देना हमारी मजबूरी थी। यही मेरा कथन है।

ROAC, before me,

06/05/15

(एस0डी0 देवस्थले)
निरीक्षक
ई0ओ0डब्ल्यू0 रायपुर।